

बिहार सरकार,
लघु जल संसाधन विभाग।

पत्रांक— 726 (मौ)

पटना, दिनांक 16/5/2019

प्रेषक,

के० के० पाठक,
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर

विषय— स्थल जाँच के सम्बन्ध में।

महाशय,

आज दिनांक— 16.05.2019 को बन्द पड़े अऊर्जान्वित नलकूपों की समीक्षा के दौरान पता चला कि आपके द्वारा स्थल जाँच नहीं की गयी है। कुल 49 ऐसे नलकूप हैं, जिसकी जाँच नहीं की गयी है। आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक— 20.05.2019 तक स्वयं, सहायक अभियंता तथा कनीय अभियंता को लेकर इन सभी नलकूपों का स्थल जाँच करें और उसका Inventory बनायें कि नलकूप में क्या-क्या सामान है और क्या-क्या सामान नहीं है। तथा भवन की क्या स्थिति है। यह प्रतिवेदन दिनांक— 20.05.2019 तक अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें।

विश्वासभाजन

(के०के० पाठक)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— 726 (मौ)

पटना, दिनांक 16/5/2019

प्रतिलिपि:— मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।